फर्द अहकाम

लालाराम बनाम तहसीलदार, दूदू

नाम न्यायालय :

केस संख्या / प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05/03/25	आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0 दी0 वकील प्रार्थी द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि उनवानी वाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 24/02/2025 को निर्णय पारित किया गया था निर्णय दिनांक 24/02/2025 के पृष्ठ संख्या 1 के पंक्ति संख्या 25 में तथा पृष्ठ संख्या 3 के पंक्ति संख्या 6 तथा 12 एवं पृष्ठ संख्या 5 की पंक्ति संख्या 17 में खसरा नम्बर 296 का अंकन होने से छूट गया है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जाकर निर्णयशुदा वाद पत्रावली को तलब किया जाकर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 व 152 सी.पीसी. स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र 151 व 152 सीपीसी स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24/02/2025 के पृष्ठ संख्या 1 के पंक्ति संख्या 25 में तथा पृष्ठ संख्या 3 के पंक्ति संख्या 6 तथा 12 एवं पृष्ठ संख्या 5 की पंक्ति संख्या 17 में तथा डिक्री में खसरा नम्बर 296 का अंकन लाल स्याही से किये जाने के आदेश प्रदान करावें। अधिवक्ता प्रार्थी की प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 पर एकपक्षीय बहस का सुना गया। पत्रावली उनवानी लालाराम बनाम तहसीलदार, दूदू मुकदमा नम्बर 71/2017 को तलब कर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पत्रावली व बहस मनन स्थिति इस प्रकार पायी गयी कि न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 24/02/2025 को उक्त उनवानी प्रकरण स्वीकार किया जाकर निर्णित किया गया। वरवक्त निर्णय लेखन में आराजी खसरा नम्बर 296 का अंकित होने से रह गया है। उक्त त्रुटि लेखन त्रुटि की श्रेणी में आती है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 24/02/2025 के पृष्ठ संख्या 1 के पंक्ति संख्या 25 में तथा पृष्ठ संख्या 3 के पंक्ति संख्या 6 तथा 12 एवं पृष्ठ संख्या 5 की पंक्ति संख्या 17 में तथा डिक्री में खसरा नम्बर 296 का अंकन लाल स्याही से किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 152 जा0दी0 निर्णय शुमार होकर हमफीता मूल पत्रावली रहे। उपखण्ड अधिकारी दूदू	